

क्रमांक एआई/पीएमजीएसवाई/परिपत्र/2009/डी-4490 दिनांक 8.6.2009

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्रों में दोष दायित्व समयावधि मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों आदि हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। पुनरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधिकांश वृत्त/खंड कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की समुचित प्राप्ति नहीं की जा रही है, जिससे सड़क कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

उक्त वर्णित समयावधि के अन्तर्गत सड़कों के उचित रख-रखाव हेतु कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश निम्ने जाते हैं कि जिन सड़कों का रख रखाव संवेदकों द्वारा, विभाग के निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा, ऐसे सड़क कार्यों की नियमित मरम्मत एवं रख रखाव हेतु, संवेदकों की जोखिम एवम् क्षमता पर, खण्ड या उपखण्ड की आवश्यकता के आधार पर सामान्य निवेदा जारी की जायें। उपरोक्तानुसार गणना आधारित, सड़क मरम्मत कार्यों की मात्रा लेकर, साल भर की दर अनुबन्ध के शिर्षे दर अनुमोदित करें।

इसी क्रम में, जिन सड़कों का मरम्मत एवम् रख रखाव का कार्य संवेदक द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा उनके खिलाफ अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जोखिम एवम् क्षमता की कार्यवाही प्रारम्भ करें एवम् उनकी पी.जी. राशि/एस.डी. को तुरन्त मुनाने की कार्यवाही

मुख्य अभियन्ता एवम् अतिरिक्त सचिव 8/6/09
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

क्रमांक एआई/पीएमजीएसवाई/परिपत्र/2009/डी

दिनांक 6.2009

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई/एसएस/राउमा/भवन, सा.नि.विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.विभाग, समस्त।
5. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त 2121 समस्त। No
6. अभिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड समस्त।

मुख्य अभियन्ता एवम् अतिरिक्त सचिव 8/6/09

Office Of The Superintending Engineer PWS Circle BARAN R/No. 4365
17 JUN 2009
R/Date 08 5A 5H

Copy to E-E PWD
Baran/Chabson/
Shahbad for
urgent compliance
& report
15/6